भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 772
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट धोखाधड़ी

772. श्री कृपाल बालाजी तुमाने :
डा. सुभाष रामराव भामरे :
श्री अरविंद सावंत :
श्री संजय काका पाटील :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संभावित धोखाधड़ी की पहचान करने और रोकने के लिए 'फ्रॉड प्रेडिक्शन माडल'/शुरूआती चेतावनी प्रणाली विकसित की है/विकसित करने का प्रस्ताव है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी के संबंध में जांच किए गए मामलों में वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं ऐसै मामलों में अंतर्ग्रस्त धनराशि का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एसएफआईओ ने उक्त अवधि के दौरान ऐसे जांच किए गए मामलों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई तथा इसके क्या परिणाम हैं;
(घ) एसएफआईओ की स्थापना से अब तक इसे कितनी निधि प्रदान की गई है; और
(ङ) सरकार द्वारा देश में कारपोरेट धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) : मंत्रालय में विकसित पूर्व चेतावनी प्रणाली का वर्ष 2013-14 के दौरान परीक्षण किया था। असंतोषजनक परिणामों के कारण इस प्रणाली को छोड़ दिया गया।

....2/-

कंपनी अधिनियम के उपबंधों के गैर-अनुपालन की पहचान संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालयों और एसएफआईओ कंपनियों द्वारा दायर कतिपय विवरणों और विवरणियों तथा/या मंत्रालय/गंभीर धोखधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), में प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण से करते हैं।

(ख) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (1.4.2014 से 23.2.2015 तक) के दौरान मंत्रालय ने निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार कथित कारपोरेट कपटों के लिए 184 कंपनियों के संबंध में जांच (एसएफआईओ के माध्यम से) के आदेश दिए हैं :

वर्ष	जांच आदेश के कंपनियों की संख्या
2011-12	13
2012-13	42
2013-14	82
2014-15 (आज की तारीख तक)	47
योग	**184**

(ग) : गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 102 कंपनियों के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। मंत्रालय ने चूककर्ता कंपनियों/निदेशकों/अधिकारियों के विरूद्ध अपेक्षानुसार अभियोजन दायर करने के आदेश दिए हैं। संगत प्रतिवेदन, जहां इंगित किए गए हैं, संबंधित जांच एजेंसियों के साथ साझा भी किए गए हैं।

(घ) : वर्ष 2003 में इसकी स्थापना से लेकर अभी तक एसएफआईओ को बजटीय संसाधनों से 51.39 करोड़ रुपए की राशि की निधि जारी की गई है।

(ड.) : सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नवत् हैं :

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बढ़े हुए प्रकटीकरण मानकों का अधिदेश ताकि निवेशक कंपनियों से सभी संगत सूचनाएं प्राप्त कर सकें;

- कंपनी अधिनियम, 2013 में पहली बार “कपट” पद (इसके लिए शास्ति के साथ) परिभाषित किया गया है;
- गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पर्याप्त शक्तियों के साथ सांविधिक स्थिति प्रदान की गई है;
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आस्तियों कुर्क करने और वापस प्राप्त करने के उपबंध रखे गए हैं।

*****